न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 64 / 2021

देवप्रकाश शर्मा 3च10 आरएचबी शास्त्रीनगर जयपुर।

बनाम

तहसीलदार वैर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 08.09.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि देवप्रकाश शर्मा 3च10 आरएचबी शास्त्रीनगर जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2021 तहसीलदार वैर से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार वैर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 531 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा तहसीलदार वैर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत् रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार वैर से उनके पत्र कमांक / 428 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा जवाव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार वैर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार वैर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार वैर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 428 दिनांक 08.09.2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार वैर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को भी पत्र कमांक 388 दिनांक 27.07.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार वैर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर